राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर

बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुमन देवी, R.A.S.

राजस्व वाद स. 123/2019

RCMS No. 2019/00820

1. गिन्दो देवी पत्नी रामौतार उम्र 82 साल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) **(फौत)**

1/1. अंकिता यादव दत्तक पुत्री गिन्दो देवी पत्नी हरीश जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद झान्झा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) ....वादी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

— ब ना म —

1. रणवीर
2. राजेश
3. ईश्वर पुत्रान झुथाराम
4. बाला
5. गुडडी पुत्रीयान झुथाराम
6. अमरसिंह
7. कंवर सिंह पुत्रान रामकुमार
8. हनुमान
9. होलदार
10. हवासिंह पुत्रान जगमाल
11. सुमन पत्नी महेन्द्र पुत्र जगमाल
12. मनीश
13. अनीश पुत्रान महेन्द्र नवीरा जगमाल
14. बुद्धराम

समस्त जातिगण अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद सं. 143/2019
[illegible]
[illegible]
निर्णय दिनांक 23/4/25

15 सतवीर पुत्रान मगुला
16 राजेन्द्र पुत्र सुलतान
17 सीताराम पुत्र सुरजा
18 निरंजन
19 महावीर
20 लीलाधर पुत्रान सिंहराज उर्फ सिंहराम
21 मंजीत पुत्र सिंहराज उर्फ सिंहराम
22 बिमला पुत्री सिंहराज उर्फ सिंहराम समस्त जातियान अहीर निवासीगण सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..................प्रतिवादीगण

वाद – घोषणात्मक।

अन्तर्गत धारा 88 रा.का. अधि.

उपस्थिति –

1. श्री विजयपाल यादव, अधिवक्ता – वादी की ओर से।
2. श्री कुलदीप चौधरी अधिवक्ता, प्रति. सं.1 की ओर से एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय।

:: निर्णय :: दिनांक : 23/4/25

वादीया की ओर से हस्तगत वाद घोषणात्मक इन संक्षिप्त अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–

1. यह कि वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 स्थित भूमि मय ख0 न0 695 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा लिगर ख0 न0 233 रकबा 7 बिस्वा, ख0 न0 234 रकबा 14 बिस्वा, ख0 न0 603 रकबा 18 बिस्वा, ख0 न0 693 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि की खातेदारी काश्तकारी लादूराम, जयनारायण, रामीराम, पुत्रान प्यारेलाल [illegible] 2012 से 2026 तक रही। बाद मे लादूराम के हिस्से पर पुत्रान [illegible] हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

2. यह कि भू-प्रबंधक विभाग द्वारा गत ख0 न0 695 से हाल ख0 न0 518 रकबा 1.47 है0 बना है और उक्त रिकार्ड में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से वादीनी के 1/9 हिस्से में प्रति0 स0 1 रणवीर पुत्र रामोतार लिखा गया। जबकि रामोतार के कोई पुत्र नही था उक्त खसरा नम्बर में रामोतार पुत्र जयराम का 1/9 हिस्सा है रामोतार की मृत्यु के बाद जो राजस्व रिकार्ड बना उसमें रामोतार की जगह वादीया का नाम आना चाहिए था क्योकि वादीया रामोतार की विवाहीता पत्नी है रामोतार की समस्त जायदाद की वह अकेली वारिस है और मौके पर वादीया रामोतार के हिस्से 1/9 पर अब भी काबिज कास्त है। स्व0 जयराम की वंशावली निम्न प्रकार से पेश है।

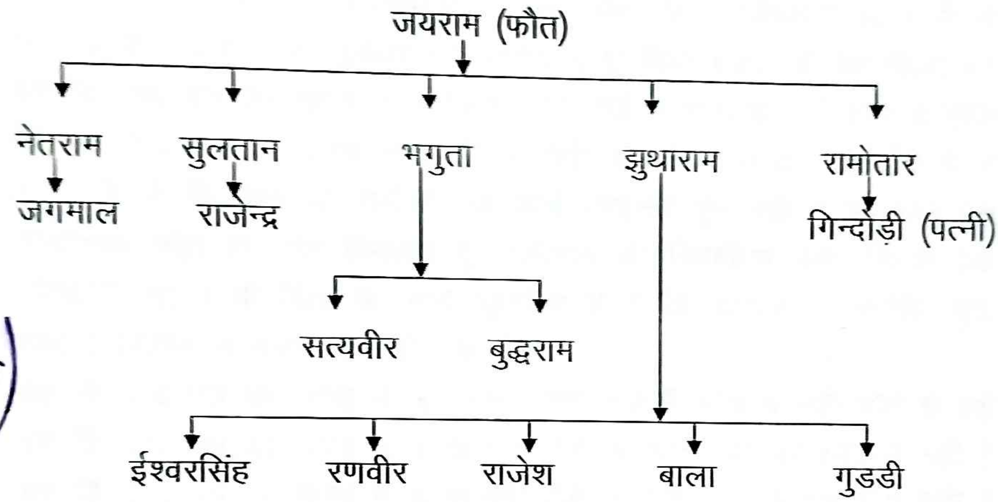

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

3. यह कि उक्त रिकार्ड में प्रति0 स0 1 रणवीर पुत्र रामोतार दर्ज होने की जानकारी वादीया को अब हुई तो वादीया ने समस्त रिकार्ड की नकल ली व वादीया अपने 1/9 हिस्से का रिकार्ड अपने नाम करवाने के लिए यह वाद घोषणात्मक प्रस्तुत कर रही है। उक्त रिकार्ड में रणवीर पुत्र रामोतार का नाम रहने से वादीया के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वादीया अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है इसलिए यह वाद घोषणात्मक प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि दावे के लिए आधार विवाद राजस्व कर्मचारीयों की गलती से वादीया के पति रामोतार की जगह रणवीर पुत्र रामोतार दर्ज होने से पैदा हुआ। जिसकी जानकारी होने पर वादीया ने रिकार्ड की नकल लेकर यह वाद प्रस्तुत किया है। वैसे भी कानून में वाद घोषणात्मक हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है अतः दावा सावधि पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

(क) कि वाके ग्राम सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 के हाल ख0 न0 518 रकबा 1.47 है0 में से प्रति0 सं0 1 रणवीर पुत्र रामोतार का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीया का नाम दर्ज किया जावे व 1/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

वादीया का दावा कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेश शुदा सम्मन/नोटिस प्रतिवादीगण की तामील हेतू जारी किया गये जिनकी तामील होकर प्राप्त हुई जो सम्यक रूप मानी गई प्रतिवादी सं. 1 अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादीया के दावे को स्वीकार कर इकबालिया जवाब दावा निम्न प्रकार से पेश किया गया कि:–

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 जिस भांति दर्ज है सत्य व सही होने से स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 जिस भांति दर्ज है सत्य व सही होने से स्वीकार है यह सही है कि स्व0 श्री रामोतार के कोई जाइन्दा पुत्र नही है रामोतार पुत्र जयराम नाऔलाद फौत हो गया रामोतार पुत्र जयराम की विवाहिता पत्नी गिन्दो देवी है तथा प्रतिवादी सं0 1 के पिता का नाम झूथाराम है न कि रामोतार । रणवीर पुत्र रामोतार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 जिस भांति दर्ज है सत्य व सही होने से स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 कानूनी होने से उत्तर की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 कानूनी होने से उत्तर की आवश्यकता नही है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 क्षेत्राधिकार से सम्बंधित है इसलिए उत्तर की आवश्यकता नही है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 कोर्ट फीस से सम्बंधित होने के कारण उत्तर की आवश्यकता नही है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादीया द्वारा चाहे अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के अभिवचनों का खण्डन नहीं किया जाने के कारण कोई तनकी कायम नही की गई। बहस सुनी गई व पत्रावली पर पक्षकारों द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना स्थित वाद वर्णित भूमि में रणवीर पुत्र रामोतार का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीया को उसके स्थान पर 1/9 हिस्से की अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

— :: आदेश ::—

अतः वाद वादीया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 के खाता सं. 223 के हाल ख.न. 518 रकबा 1.47 है. में वादीया को 1/9 हिस्सा की खातेदार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि रणवीर पुत्र रामोतार का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी, **R.A.S.**
राजस्व वाद स. 123/2019
RCMS No. 2019/00820

गिन्दो देवी **बनाम** रणवीर आदि
दावा –घोषणात्मक ।

वादी की ओर से श्री **विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 1 की ओर से **श्री कुलदीप चौधरी एडवोकेट** की उपस्थित इस वाद में आज तारीख 23/4/25 को **श्री सुमन देवी उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" अतः वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 के खाता सं. 223 के हाल ख.न. 518 रकबा 1.47 है. में वादीया को 1/9 हिस्सा की खातेदार घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि रणवीर पुत्र रामोतार का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई।"

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested